

भारतीय रेल सम्मेलन
माल भाड़ा दर सूची सं. 48, भाग - I (जिल्द - II)
शुद्धि पत्र सं. 05 दिनांक 09 आषाढ़, 1937

I.R.C.A.
Goods Tariff No. 48, Part I (Vol. II)
Correction Slip No. 05 Dated 30.06.2015

प्राधिकरण: - रेलवे बोर्ड का पत्र सं. टीसीआर/1078/2015/07, दिनांक 16.06.2015
(दर परिपत्र - 08/2015 का शुद्धि पत्र सं. 06)

निम्नलिखित परिवर्धन किए गए हैं: -

शुद्धि पत्र सं. 05 दिनांक 09 आषाढ़, 1937 पृष्ठ - 09, माल का सामान्य वर्गीकरण - मुख्य वस्तु समूह संख्या "(3) इंटें और पत्थर" के अंतर्गत उप समूह "3(ए)" में दी गई वर्तमान मद "क्वार्टज (चिप्स, पत्थर, चूरा और पाउडर)" के ऊपर निम्नलिखित को सन्निविष्ट करे: -

| समूह क्रम संख्या | वस्तु विवरण | बेस श्रेणी |
|------------------|-------------------------------|------------|
| 3(ए) | पॉलिश किया हुआ ग्रेनाइट स्लैब | 150 |

---x---

Authority: - Railway Board's letter No. TCR/1078/2015/07, dated 16.06.2015
(Corr. - 06 to RC - 08/2015)


The following additions are hereby made: -

C.S. No. 05 of 30.06.2015 Page - 09, General Classification of Goods, Under Main Group No. "3. BRICKS & STONES" in Sub-Group "3(a)" above the existing commodity "QUARTZ (Chips, Stones, Gravel and Powder)" insert the following: -

| Group No. | Commodity Description | Base class |
|-----------|-----------------------|------------|
| 3(a) | POLISHED GRANITE SLAB | 150 |

नई दिल्ली/ New Delhi

दिनांक: 09 आषाढ़, 1937
Dated: 30.06.2015


सुधेन्दु जे. सिन्हा भा.रे.या.स.
महासचिव
Sudhendu J. Sinha IRTS
Secretary General